‘चीन-भारत सीमा पर तनाव बरकरार’

वाशिंगटन, 3 मई (भाषा)।

पेंटागन ने एक रिपोर्ट में अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव बना हुआ है लेकिन दोनों देशों ने अभी तक इन मतभेदों को उस स्तर तक पहुंचने से रोक रखा है जब 73 दिन तक डोकलाम में गतिरोध की स्थिति बनी रही थी। पेंटागन ने कांग्रेस को दी अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा कि अपनी सक्रिय रक्षा रणनीति के तहत चीन के नेता अपने देश के रणनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे तरीके अपनाते हैं जिनमें सशस्त्र संघर्ष न हो।

रिपोर्ट के अनुसार गतिविधियों को इस तरह निर्धारित किया जाता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी और साझेदार देशों या भारत-प्रशांत क्षेत्र के अन्य देशों के साथ सशस्त्र संघर्ष की स्थिति न बन पाए। इसमें कहा गया, ‘दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में और भारत एवं भूटान के साथ लगी इसकी सीमा के क्षेत्र में भी चीन के क्षेत्रीय व समुद्री दावों में ये तरीके विशेष रूप से दिखाई देते हैं।’ चीन का दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में क्षेत्रीय विवाद चल रहा है। बेजिंग लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, वहीं दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर वियतनाम, फिलीपीन, मलेशिया, ब्रूनेई और ताइवान भी दावे करते हैं।

पेंटागन ने कहा कि चीन की वेस्टर्न थियेटर कमांड (डब्ल्यूटीसी) का रुख भारत और आतंकवाद विरोधी मिशनों की तरफ है और भौगोलिक रूप से यह देश के अंदर सबसे बड़ी थियेटर कमान है। रिपोर्ट के अनुसार भारत-चीन सीमा पर डेमचोक में 2018 में बने रहे गतिरोध के बावजूद चीन और भारत ने अब तक अपनी असहमतियों को इस स्तर तक पहुंचने से रोक रखा है जितना 2017 में डोकलाम में गतिरोध की स्थिति के समय रहा था।

पेटागन ने कहा, ‘चीन और भारत की विवादित सीमा के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में तनाव बना हुआ है। चीन और भारत के गश्ती दल विवाद वाले क्षेत्र में नियमित रूप से एक दूसरे के सामने आते हैं और दोनों ही पक्ष अकसर एक दूसरे पर सीमा क्षेत्र उल्लंघन का आरोप लगाते हैं।’ चीन और भारतीय बल नियमित सीमा बैठकों में विवाद पर चर्चा करते हैं और छोटी-मोटी टकराव की स्थितियों को रोकने के लिए सामान्यतः असहमतियों को सुलझा लेते हैं।

हालांकि पेंटागन ने कांग्रेस को बताया कि 2017 के सीमा विवाद का स्थाई समाधान नजर नहीं आ रहा है। रिपोर्ट में कांग्रेस को बताया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रैल 2018 में वुहान में अनौपचारिक मुलाकात हुई थी और उन्होंने सीमा पर समाधान के लिए समर्थन जताया था। पेंटागन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर साझा विवाद पर भारत के साथ तनाव बना हुआ है और चीन इसे तिब्बत का हिस्सा बताते हुए अपना भाग बताता है। अकसाई चिन क्षेत्र को लेकर भी विवाद है।

दुबई में भारतीय की हत्या करने पर एक पाकिस्तानी चलेगा मुकदमा

दुबई, 3 मई (भाषा)।

संयुक्त अरब अमीरात में एक पाकिस्तानी पर अपने एक भारतीय सहकर्मी की हत्या करने का मुकदमा चलेगा। यह पाकिस्तानी ऐसा कोई भी अपराध करने को तैयार था जिससे उससे संयुक्त अरब अमीरात में रहने का मौका मिलता।

खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस पाकिस्तानी श्रमिक पर कपड़े से अपने एक साथी की घला घोंट कर हत्या करने को लेकर दुबई की एक अदालत में मुकदमा चलेगा। अभियोजन के अनुसार पाकिस्तानी श्रमिक कोई भी ऐसा गुनाह करने को तैयार था जिससे उसे जेल भेज दिया जाए और वह स्वदेश नहीं लौट पाए क्योंकि उसका अपने भाई से किसी बात पर विवाद था।

आरोपी ने अदालत में पेश किये जाने पर अपना गुनाह कबूल कर लिया। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार 26 फरवरी को नाद अल हमार में एक भवन निर्माण स्थल पर हमले की खबर मिली थी। अखबार के अनुसार अधिकारी ने कहा, ‘हमें पता चला था कि झगड़ा करने वाले व्यक्तियों में एक की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। जब हम मौके पर पहुंचे तब हमने पाया कि आरोपी को पुलिस के गश्ती अधिकारियों ने पकड़ रखा था। चश्मदीदों ने हमें बताया कि उसे आरोपी को पीड़ित के उपर बैठा और कपड़े से उसका गला घोंटते देखा।’

फेसबुक की ‘खतरनाक लोगों’ की सूची में आए नफरत को बढ़ावा देने वाले लोग

सैन फ्रांसिस्को, 3 मई (एपी)।

नफरत और कट्टरता को बढ़ावा देने वाले पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कई वर्ष तक दबाव में रहे सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने लुई फराखान, एलेक्स जोन्स और अन्य अतिवादियों को प्रतिबंधित कर दिया है। फेसबुक का कहना है कि इन लोगों ने कंपनी के ‘खतरनाक व्यक्तियों’ पर इसके प्रतिबंध का उल्लंघन किया था।

कंपनी ने जोन्स की साइट इन्फोवार्स के साथ-साथ दक्षिणपंथी विचारधारा वाले पॉल नेहलेन, मिलो यिआनोपूलस, पॉल जोसेफ वाटसन और लौरा लूमर को भी प्रतिबंधित किया, जो अक्सर षड्यंत्रकारी सिद्धांतों वाले पोस्ट करते थे। हालिया प्रतिबंध फेसबुक की मुख्य सेवा और इंस्टाग्राम दोनों पर लागू होंगे और इसके विस्तारित फैन पेज और अन्य संबंधित अकांउट पर भी लागू होंगे। फेसबुक ने यह कदम नफरत फैलाने और नस्लीय भावना को भड़काने वाली आपत्तिजनक सामग्री को बढ़ावा देने वाले समूहों एवं लोगों को हटाने के अपने प्रयासों के तहत उठाया है। सदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटर के वरिष्ठ अनुसंधान विश्लेषक कीगन हैंक्स ने कहा, ‘हमें मालूम है कि अब भी श्वेत यहूदीवादी और अन्य चरमपंथी मौजूद हैं जो नफरत फैलाने और कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए दोनों मंचों का सक्रिय रूप से इस्तेमाल करते हैं।’ फेसबुक के पूर्व अधिकारी और हार्वर्ड में इंटरनेट नीति विशेषज्ञ दीपायन घोष ने कहा कि यह प्रतिबंध कोई बड़ा कदम नहीं है क्योंकि फेसबुक बस इसे चित्रित करता प्रतीत हो रहा है और वह अपनी मौजूदा नीति को महज पुख्ता कर रहा है।

प्रेमी से शादी रचाने जा रही हैं न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री

न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न और उनके प्रेमी क्लार्क गेफोर्ड शादी रचाने जा रहे हैं। एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रेमी जोड़ा ईस्टर की छुट्टियों के दौरान शादी रचाने के लिए तैयार हो गया है। इनकी एक बेटी नीव भी है।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण – III, दिल्ली के समक्ष
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

बैंकों और वित्तीय संस्थानों अधिनियम 1993 की धारा 19 (4) के अन्तर्गत तथा ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियम) 1993 के नियम 12 और 13 के साथ पठित के तहत ऋणों की वसूली की सूचना।

ओए नं. 01/2018 **के मामले में**
आईडीबीआई बैंक लि. **बनाम** **मैसर्स एम जी इन्टरनेशनल एवं अन्य**
आवेदक **प्रतिवादी**
सेवा में

प्रतिवादी 3: **मैसर्स शक्ति भोग फूड्स लि.**
(एक कंपनी – इसके निदेशकों के माध्यम से)
पंजीकृत कार्यालय 1101–03, पर्लस बिजनेस पार्क, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली – 110 034

प्रतिवादी 6: **श्री सिद्धार्थ कुमार** पुत्र श्री केवल कृष्ण कुमार
पताः 15/61, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली – 110 026

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरूद्ध वसूली के लिए एक मुकदमा स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को समाधानप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको **दिनांक 22.05.2019 को प्रातः 10.30 बजे** माननीय पीठाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

यह ध्यान रखें कि निर्धारित तिथि को अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले पर आपकी अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई और निर्णय लिया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत **04 अप्रैल 2019** को दिया गया।

सहायक रजिस्ट्रार न्यायाधिकरण के
आदेश द्वारा, डीआरटी – III, नई दिल्ली

ऋण वसूली न्यायाधिकरण – III, दिल्ली के समक्ष
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

बैंकों और वित्तीय संस्थानों अधिनियम 1993 की धारा 19 (4) के अन्तर्गत तथा ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियम) 1993 के नियम 12 और 13 के साथ पठित के तहत ऋणों की वसूली की सूचना।

ओए नं. 46/2018 **के मामले में**
आईडीबीआई बैंक लि. **बनाम** **मैसर्स गणेशा ओंवरसीज एवं अन्य**
आवेदक **प्रतिवादी**
सेवा में

प्रतिवादी 3: **मैसर्स शक्ति भोग फूड्स लि.**
(एक कंपनी – इसके निदेशकों के माध्यम से)
पंजीकृत कार्यालय 1101–03, पर्लस बिजनेस पार्क, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली – 110 034

प्रतिवादी 6: **श्री सिद्धार्थ कुमार** पुत्र श्री केवल कृष्ण कुमार
पताः 15/61, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली – 110 026

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरूद्ध वसूली के लिए एक मुकदमा स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को समाधानप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको **दिनांक 22.05.2019 को प्रातः 10.30 बजे** माननीय पीठाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

यह ध्यान रखें कि निर्धारित तिथि को अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले पर आपकी अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई और निर्णय लिया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत **04 अप्रैल 2019** को दिया गया।

सहायक रजिस्ट्रार न्यायाधिकरण के
आदेश द्वारा, डीआरटी – III, नई दिल्ली

SBI
आईएनबी एंड सीएमपी विभाग, स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेंटर,
सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614.

प्रस्ताव हेतु अनुरोध

भारतीय स्टेट बैंक ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) क्रियान्वयन के लिए समाधान और सेवाएं के प्रापण हेतु प्रस्ताव के लिए निवेदन (आरएफपी) जारी किया है. विवरणों के लिए कृपया बैंक की वेबसाइट: **https://bank.sbi** पर ‘प्रोक्योरमेंट न्यूज’ देखें.

स्थान: नवी मुंबई
दिनांक: 04/05/2019

हस्ताक्षर/–
उप महाप्रबंधक
(आईएनबी एंड सीएमपी डिपार्टमेंट)

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value
CIN No: L51909DL1963GOI004033
पंजीकृत कार्यालयः कोर–1, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड,
नई दिल्ली–110003, भारत
टेली. नं. +91 11 24362200, 24360527,
फैक्स नं. +91 11 24364587

एमएमटीसी लिमिटेड द्वारा आयातित मक्के के लिए डिस्चार्ज/डिलिवरी सुपरविजन एवं विश्लेषण के लिए भारत में विभिन्न पत्तनों पर सर्वेयर(रों) की नियुक्ति के लिए निविदा

निविदा सं. एमएमटीसी/एग्रो/डीपी/एसआरवीवाईआर/01/2019–20

दिनांक: 2 मई, 2019

बंद होने की तिथि: 16 मई, 2019 को 1500 बजे (आईएसटी)

ई–निविदा एमएमटीसी ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाइट **https://mmtc.abcprocure.com** पर उपलब्ध है।

निविदा दस्तावेज की प्रति उप महाप्रबंधक (एग्रो) से प्राप्त की जा सकती है या हमारी वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है:

www.mmtclimited.gov.in एवं
https://eprocure.gov.in/epublish/app

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमिटेड
(भारतीय रिजर्व बैंक की सम्पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
नोट मुद्रण नगर, मैसूरु - 570 003

राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (खुली निविदा)

1. बीआरबीएनएमपीएल, मैसुरु में मुख्य प्रेस से इंक मेन्युफेक्चरिंग युनिट तक चिल्ड वॉटर पाईप लाईन की आपूर्ति, बिछाना और संस्थापन **निविदा संख्या: 011/MYS/IMU/2019-20 अनुमानित मूल्य**: रु 40.00 लाख।
2. बीआरबीएनएमपीएल, मैसुरु में कर्मचारियों के लिए युनिफार्म क्लोथ की आपूर्ति. **निविदा संख्या: 012/MYS/MMD/2019-20 अनुमानित मूल्य**: रु 27.11 लाख।
3. बीआरबीएनएमपीएल, मैसुरु में वार्षिक दर अनुबंध के तहत “जैसा है जहां है के आधार पर” मिश्रित स्क्रैप (ASSORTED SCRAP) आइटम की बिक्री. **निविदा संख्या: 013/MYS/MMD/2019-20 अनुमानित मूल्य**: रु 14.45 लाख।

उपरोक्त सभी निविदाओं को जमा करने की अंतिम तिथि **05.06.2019** को **1430** बजे तक है। निविदा दस्तावेज और अन्य विवरण डाउनलोड करने के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट **www.brbnmpl.co.in.** पर जाएं। आगे जो भी विस्तार या संशोधन होगा उसे सिर्फ हमारी वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा।

महाप्रबंधक

फार्म नं. आईएनसी–26
{कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले
और
जर्मन होमोयो लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
(CIN:U24232DL1998PTC096664)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **1/56, निरंकार कॉलोनी, दिल्ली–110006** में है, के मामले मे
....आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु **8 अप्रैल, 2019** को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **“राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली”** से **“उत्तर प्रदेश राज्य”** में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/ विपक्ष के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करे या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली -110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में **1/56, निरंकार कॉलोनी, दिल्ली–110006** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते **जर्मन होमोयो लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड**
दिनांक: 3 मई, 2019 शरद श्रीवास्तव(निदेशक)
स्थानः नई दिल्ली डीआईएनः 01556350

ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओए नं. 817/2018
यूको बैंक...आवेदक
बनाम
रंजन होरे एवं अन्य ....प्रतिवादी

सेवा में,
1. **रंजन होरे, पुत्र श्री बिश्वेश्वर होरे,** निवासी एल1/172ए डीडीए फ्लैट, कालकाजी, नई दिल्ली–110019.
2. **पायल होरे, पत्नी रंजन होरे,** निवासी एल1/172ए डीडीए फ्लैट, कालकाजी, नई दिल्ली–110019.
3. **मैसर्स एवीजे डेवलपर्स प्रा. लि. (इसके निदेशक के माध्यम से) इसका कार्यालय : डी–237, विवेक विहार, फेज–1, नई दिल्ली–110095**

चूंकि उपरोक्त नामित आवेदक ने **रु.63,62,071.19 (तिरसठ लाख बासठ हजार इकहत्तर रूपये एवं उन्नीस पैसे मात्र)** की वसूली के लिए आपके विरूद्ध एक मुकदमा दाखिल किया है और अधिकरण के संज्ञान में आया है कि सामान्य तरीके से आपको जानकारी देना संभव नहीं है इसलिए इस विज्ञापन के माध्यम से सूचना देते हुए आपको **27.06.2019 को प्रातः 10:30 बजे Ld. रजिस्ट्रार** के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

यह ध्यान रखें कि निर्धारित तिथि को अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई और निर्णय लिया जाएगा।

आज 26 अप्रैल, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मोहर के साथ जारी किया गया।

कोर्ट की मोहर

अधिकरण के आदेशानुसार
कृते रजिस्ट्रार

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए “केंन्द्रित” "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय : राज नगर एक्सटेंशन, गाज़ियाबाद, उ0प्र0
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट–IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राज नगर एक्सटेंशन, गाज़ियाबाद शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक **30/08/2018** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः श्रीमती अर्चना गुप्ता पत्नी श्री प्रवीण गुप्ता,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.5,28,705/– (पाँच लाख अठाइस हजार सात सौ पाँच रूपये मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 2 मई 2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.5,28,705/– (पाँच लाख अठाइस हजार सात सौ पाँच रूपये मात्र) और उस पर ब्याज के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राज नगर एक्सटेंशन, गाज़ियाबाद शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

दूसरी मंजिल पर आवासीय फ्लैट (बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नं.सी–166, न्यू पंचवटी कालोनी, खसरा नं. 61 में ब्लॉक–सी, गाँव महमा सराय उर्फ कोट, गाज़ियाबाद–201001, उ0प्र0, श्रीमती अर्चना गुप्ता पत्नी श्री प्रवीण गुप्ता के नाम में। क्षेत्र परिमाप 22 वर्ग मीटर जो निम्नानुसार घिरा हैः–

पूर्वः 40 फीट चौड़ी रोड पश्चिमः प्लॉट नं.सी–166 का हिस्सा
उत्तरः 22 फीट चौड़ी रोड दक्षिणः प्लॉट नं. सी–167

स्थानः गाजियाबाद, उ0प्र0 **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः 02/05/2019 **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
शाखा : मलकागंज शाखा, नई दिल्ली

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 (2002 का 54) के तहत **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नलिखित दिनांक को ले लिया है।

उधारकर्ताओं / गारंटरों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिये सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार और गारंटर का नाम	प्रभारित / बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (रू. में)
(1) श्री अमित कुमार पुत्र श्री ओमबीर सिंह (2) श्री जगदीश चन्द्र जोशी पुत्र श्री काशी राम जोशी	अचल बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति वी–167, खसरा नं. 731 में से, गाँव घोण्डा, गुज्जरों खादर कॉलोनी, अरविन्द नगर, बुध बाजार के पास, श्री अमित कुमार से सम्बंधित, सेल डीड पंजीकरण नं. 1,658, बुक नं. 1, वाल्यूम नं. 4,139, पेज 31 से 42, दिनांकित 12.12.2007 बुधवार को Sr IV के कार्यालय, सीलमपुर, दिल्ली में पंजीकृत, चौहदी : उत्तर में – श्री शिवम की सम्पत्ति, पश्चिम में – अन्य की सम्पत्ति, पूरब में – अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में – रोड	01-02-2019 01-05-2019	रु. 13,47,994.50 दिनांक 31.01.2019 तक प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित।

दिनांक 01.05.2019, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

आन्ध्रा बैंक
ANDHRA BANK
(A Govt. of India Undertaking)

विशिष्ट परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा (एसएआरएम)
पहली मंजिल, एम–35, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली –110001
टेलीफोन नंबर 011–23418746, 23418750 ईमेलः bm3102@andhrabank.co.in

ई–नीलामी बिक्री सूचना
{प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 6(1)/8(5) एवं 9}

जैसा कि मैसर्स श्रीनाथ जी रोलर फ्लोर मिल्स लिमिटेड, **इसके निदेशकों/जमानतदारों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया हैं – (1) श्री राज कुमार गुप्ता (2) श्री राम लाल गुप्ता (3) श्री अमर चंद गुप्ता (4) श्रीमती शकुंतला देवी (5) मैसर्स गगन एग्रो मिल्स प्रा. लिमिटेड** जो पंजीकृत कार्यालय, सी –43/3, लॉरेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली – 110035 से व्यापार चला रहें हैं, ने आंध्रा बैंक की आर. के. पुरम शाखा से साख सुविधाएं प्राप्त की है तथा आगे के ब्याज, लागत, खर्च के साथ बैंक को दिनांक 31.01.2017 तक देय राशि **रु.102,14,47,442/– (रुपए एक सौ दो करोड़ चौदह लाख सैंतालीस हजार चार सौ बयालीस मात्र)** के भुगतान में चूक की है। अतएव **वितीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिमूर्ति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के 54 की धारा 13** के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आंध्रा बैंक ने सार्वजनिक नीलामी में नीचे वर्णित सम्पत्ति की बिक्री करने का फैसला किया है जो यहां नीचे वर्णित वेबसाइट/प्रोर्टल के माध्यम से ई–नीलामी द्वारा आयोजित की जायेगी।

विवरण

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी(आरक्षित मूल्य का 10%)	न्यूनतम बोली गुणक
1.	श्री अमर चंद गुप्ता के नाम पर सी –42 लॉरेंस रोड, औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली –110035 में 427 वर्ग गज के मापक्षेत्र की औद्योगिक संपत्ति से जुड़ी हुए संयंत्र और मशीनरी भी उसमें शामिल है।	रु. 5,60,00,000/– (रुपए पांच करोड साठ लाख रुपए मात्र) (भूमि और भवन), रु. 23,98,000/– (रुपए तेईस लाख अठानवें हजार मात्र) (संयंत्र और मशीनरी) **कुल – रु. 5,83,98,000/– (रुपए पांच करोड़ तिरासी लाख अठानवें हजार मात्र)**	रु. 58,39,800/– (रुपए अट्ठावन लाख उनतालीस हजार और आठ सौ मात्र)	रु.5,00,000/– (केवल पाँच लाख रुपये)
2	श्री अमर चंद गुप्ता के नाम पर सी –43/4 लॉरेंस रोड, औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली –110035 में 400 वर्ग गज के मापक्षेत्र की औद्योगिक संपत्ति से जुड़ी हुए संयंत्र और मशीनरी भी उसमें शामिल है।	रु. 5,30,00,000/– (रुपए पाँच करोड़ तीस लाख मात्र) (भूमि और भवन), रु. 67,20,000/– (रुपए सड़सठ लाख बीस हजार मात्र) (संयंत्र और मशीनरी) **कुल – रु. 5,97,20,000/– (रुपए पाँच करोड़ सत्तानवें लाख बीस हजार केवल)**	रु. 59,72,000/– (रुपए उनसठ लाख बहत्तर हजार मात्र)	रु.5,00,000/– (केवल पाँच लाख रुपये)
3	श्री राम लाल गुप्ता और श्री राज कुमार गुप्ता के नाम पर औद्योगिक संपत्ति 468–469 ए, (प्लॉट नंबर 189–191) भाग, लॉरेंस रोड, औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली –110035 में 800 वर्ग गज	रु. 11,00,00,000/– (रुपए ग्यारह करोड़ मात्र)	रु.1,10,00,000/– (रुपए एक करोड़ दस लाख मात्र)	रु.5,00,000/– (केवल पाँच लाख रुपये)

प्रतिभूति परिसम्पत्तियों का आरक्षित मूल्य जैसा कि ऊपर बताया गया हैं जिससे कम में संपत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी।

नीलामी में भाग लेने तथा संपत्ति खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों को एसएआरएम शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के पक्ष में ईएफटी/आरटीजीएस/एनईएफटी अंतरण द्वारा धरोहर राशि के रूप में ऊपर वर्णित राशि (आरक्षित मूल्य का 10%) का भुगतान करना होगा जो आंध्रा बैंक के **खाता सं. 008411100005507**, शाखा कोड **(0084)**, IFSC कोड **(ANDB0000084)** में केडिट किया जायेगा। **ईएमडी का भुगतान 20.05.2019 को शाम 4.00 बजे से पहले करना होगा।**

ईएमडी के भुगतान के बाद इच्छुक क्रेता के नीचे दिए गए ई–नीलामी सेवा प्रदाता के पास अपना नाम पंजीकृत करना होगा तथा अपना यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना होगा। लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डैटा अपलोड करने, बोली जमा करने के लिए इच्छुक क्रेता सेवा प्रदाता का सहयोग ले सकते हैं तथा निशुल्क ई–नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

वैध यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त किए जाने वाले तथा एनइएफटी/आरटीजीएस द्वारा ईएमडी का सम्पूर्ण भुगतान किए जाने वाले इच्छुक क्रेता प्राधिकृत अधिकारी की क्लीयरेंस के अधीन ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्य होंगे।

प्रत्येक खाता के लिये न्यूनतम बोली गुणक ऊपर वर्णित राशि में होगी।

संपत्ति की ई–नीलामी 21.05.2019 को बिक्री की पूर्णता/समाप्ति तक प्रति 5 मिनट के स्वत. समय–विस्तार के साथ 11.00 बजे से 12.00 बजे के बीच एटेंग्रस सिस्टम्स लिमिटेड की वेबसाईट www.antaressystems.com/ANB पर होगी।

संपत्ति की बिक्री उच्चतम मूल्य/बोली का प्रस्ताव करने वाले बोलीदाता को की जाएगी, और बिक्री सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।

सफल बोलीदाता/क्रेता को उसी दिन तत्काल या अधिकतम अगले कार्य दिवस, जैसा भी मामला हो तक जमा की गई धरोहर राशि सहित 25% मूल्य/बोली राशि का प्राधिकृत अधिकारी के पास भुगतान करना होगा जिसमें चूक करने पर संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी।

सफल बोलीदाता/क्रेता का शेष 75% राशि का भुगतान बिकी की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर करना होगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं की जाती है तो जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा बैंक संपत्ति की फिर से बिक्री करने के लिए स्वतंत्र होगा।

बैंक की जानकारी में संपत्ति पर कोई अधिभार नहीं हैं।

इच्छुक पार्टी 14.05.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर संपति का निरीक्षण कर सकते हैं। नीलामी में भाग लेने वाली पार्टियों की नीलामी में भाग लेने से पूर्व उपयुक्त ड्यू डिलिजेंस कराना होगी। संपत्ति से संबंधित किसी भी कोर्ट में बाद में किसी भी विवाद के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 194–आईए के अनुसार यदि बिक्री मूल्य रु. 50,00,000/– (रुपए पचास लाख) तथा अधिक होती है तो बिक्री राशि पर 1% की दर से टीडीएस लागू हीगा। सफल बोलीदाता/क्रेता बिक्री मूल्य से 1% की टीडीएस की कटौती करेंगें तथा उसे बैंक के नाम तथा विक्रेता के रूप में पैन नं. **AABCA7375C** को शामिल करते हुए प्रपत्र 16–बी में आयकर विभाग में जमा करेंगे तथा बैंक के पास टीडीएस का मूल रसीद जमा करेंगे।

स्थानीय करों, आबकारी शुल्क तथा अन्य किसी सांविधिक देवताओं का भुगतान करने के लिए क्रेता उत्तरदायी होंगें। बिक्री पूरा करने के लिए निष्पादित दस्तावेजों पर पंजीकरण प्रभारों तथा स्टांप शुल्क का वहन क्रेता को ही करना होगा।

संपत्ति की बिक्री **जैसा है जहाँ है** तथा **जो भी वहां है** आधार पर सेवा प्रदाता की वेबसाईट पर प्रदर्शित नियमों एव शर्तों के अनुसार की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता बैंक के प्रभारों के अतिरिक्त किसी भी प्राधिकरण के संपत्तियों पर किसी दावे, चार्जेज/अधिभारों के संदर्भ में अपनी गोपनीय जांच कर ले तथा अपनी बोली जमा करने से पूर्व संपत्ति के टाईटल, विस्तार, गुणवत्ता तथा मात्रा के विषय में स्वयं को संतुष्ट कर लें। बिक्री के लिए बिक्री की संपत्ति, संपत्ति पर चार्जेज/अधिभारों अथवा अन्य किसी भी विषय पर किसी भी प्रकार के दाये पर ऑन लाईन बोली जमा कर देने के बाद विचार नहीं होगा। संपत्ति की बिक्री से संबंधित बैंक का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा तथा उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा। प्राधिकृत अधिकारी की बिना कोई कारण बताए बिक्री की निरस्त या निलम्बित करने का अधिकार प्राप्त है।

संपत्ति का विवरणः जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है

ऊपर वर्णित संपत्ति की ई–नीलामी, ई–नीलामी सेवा प्रदाता के माध्यम से आयोजित की जाएगी:
नामः एंटेयर्स सिस्टम्स लिमिटेड
पताः #24, सुधा कॉम्प्लेक्स, तीसरा स्टेज, 4था ब्लॉक, बसवेश्वरनगर, बैंगलोर – 560079
संपर्क व्यक्तिः श्री हेमंत श्रीवास्तव एस एवं श्री कुशाल बोस और श्री विनोद सिंह बोरा
मो. नं.: 7709933635, 7686913157 और 9718227288
ई–मेल आईडीः hemant-ps@antaressystems-com, kushal-b@antaressystems-com, vinodsingh-b@antaressystems-com
टोल फ्री नंबरः 18001026185 **लैंडलाइन नंबरः** 080–49352000 **ई–नीलामी पोर्टल के माध्यम सेः www.tenderwizard-com/ANB**

ई–नीलामी और ई–नीलामी बोली प्रपत्र, उदघोषणा प्रपत्र और विस्तृत नियमों एवं शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आंध्रा बैंक की संबंधित शाखा यानी SARM शाखा, प्रथम तल, एम–35, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली – 110001 **(संपर्क नंबर 011–23418750, 23418746)** से प्राप्त हो सकती है तथा यह निम्नलिखित वेबसाइटों में भी उपलब्ध हैं:

1. www.tenderwizard.com/ANB **2. www.andhrabank.in** **3. www.tenders.gov.in**

उपरोक्त ऋण वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 9 के तहत उधारकर्ता(ओं)/ गारंटर(ओं)/गिरवीकर्ता(ओं) को एक नोटिस/30 दिन की बिक्री सूचना भी है।

(प्रभात रंजन सिंह)
दिनांकः 02.05.2019 मुख्य प्रबंधक/प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली आंध्रा बैंक

फ्लैक्स फूड्स लिमिटेड
CIN : L15133UR1990PLC023970
पंजी. कार्या.: लाल टप्पर इंडस्ट्रियल एरिया, पी. ओ. रेशम मजरी, हरिद्वार रोड, देहराहून (उत्तराखण्ड), **फोन** : +91-135-2499262, **फैक्स** : +91-135-2499235
वेबसाइट : www.flexfoodsltd.com, **इमेल** : flexsec@vsnl.net

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी सर्क्युलर तिथि 06/11/2018 अर्थात SEBI/HO/MIRSD/DOS3/CIR/P/2018/139 के अंतर्गत अंतरण के लिये अंतरिती द्वारा कम्पनी में निम्नलिखित शेयर प्रमाण पत्र दाखिल किये गये है। यदि किसी व्यक्ति का निम्न शेयरों में कोई दावा/कोई हित हो अथवा यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त अंतरण के प्रति किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, वे इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर कम्पनी को लिखें/कम्पनी के पास अपनी आपत्ति भेजें जिसमें विफल रहनें पर यह कम्पनी मेरिट्स के आधार पर शेयरों के अंतरण का विचार करेगी तथा किसी भी व्यक्ति के लिये किसी भी क्षति, वितीय अथवा अन्य के लिये कम्पनी उत्तरदायी नहीं होगी।

फोलियो	प्रमाणपत्र सं.	विशिष्ट सं.	विक्रेता का नाम	क्रेता का नाम	शेयरों की सं.
041083	37577 37398	6857601-6857700 6839701-6839800	रंजीत सिंह	राज कुमार शर्मा	100 100
022857	39857	7085601-7085700	प्राचीश मिश्रा	राज कुमार शर्मा	100

कृते फ्लैक्स फूड्स लिमिटेड
हस्ता./-
(राजेश धीर)
कम्पनी सचिव
FCS No. : 3060
स्थान : नोएडा पताः ए–64, ऑर्डनैन्स अपार्टमेन्ट्स, ब्लॉक–एच,
तिथि : 03.05.2019 विकासपुरी, नई दिल्ली–110018

UFLEX
'A part of your daily life'
यूफ्लैक्स लिमिटेड
CIN : L74899DL1988PLC032166
रजिस्टर्ड ऑफिस : 305, तीसरी मंजिल, भानोट कॉर्नर, पाम्पोष एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048, **फोन** : +91-11-26440917, 26440925, **फैक्स** : +91-11-26216922
वेबसाईट : www.uflexltd.com, **इमेल** : flexsec@vsnl.net

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी सर्क्युलर तिथि 06/11/2018 अर्थात SEBI/HO/MIRSD/DOS3/CIR/P/2018/139 के अंतर्गत अंतरण के लिये अंतरिती द्वारा कम्पनी में निम्नलिखित शेयर प्रमाण पत्र दाखिल किये गये है। यदि किसी व्यक्ति का निम्न शेयरों में कोई दावा/कोई हित हो अथवा यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त अंतरण के प्रति किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, वे इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर कम्पनी को लिखें/कम्पनी के पास अपनी आपत्ति भेजें जिसमें विफल रहनें पर यह कम्पनी मेरिट्स के आधार पर शेयरों के अंतरण का विचार करेगी तथा किसी भी व्यक्ति के लिये किसी भी क्षति, वितीय अथवा अन्य के लिये कम्पनी उत्तरदायी नहीं होगी।

फोलियो	प्रमाणपत्र सं.	विशिष्ट सं.	विक्रेता का नाम	क्रेता का नाम	शेयरों की सं.
027075	32558 16820	4623101-4623150 3836201-3836250	लॉयड जार्ज इंसवेसटमेंट मैनेजमैंट (वरमूड़ा) लि0	राज कुमार शर्मा	50 50
027075	0152591 0152590	10203098-10203147 10203048 -10203097	लॉयड जार्ज इंसवेसटमेंट मैनेजमैंट (वरमूड़ा) लि0	राज कुमार शर्मा	50 50
027075	27845	4387451-4387500	लॉयड जार्ज इंसवेसटमेंट मैनेजमैंट (वरमूड़ा) लि0 मै0 एल.जी. इंडिया फंड लि0	शशि शर्मा	50
N-1145	55524	6447630-6447679	डा0 नानक चन्द सिंघल	बिभाकर झा	50

कृते यूफ्लैक्स लिमिटेड
हस्ता./-
अजय कृष्णा
वरि. उपाध्यक्ष (लीगल) एवं कम्पनी सचिव
ACS No.3296
स्थान : नोएडा पता : सी–001, कृष्णा अपरा रेजिडेन्सी,
तिथि : 03.05.2019 ई–8, सेक्टर–61, नोएडा–201301 (उ.प्र.)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए “केंन्द्रित” "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय : साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, उ0प्र0
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति और सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट–IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक **01/02/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः श्री हरिओम सिंह पुत्र बन्नी सिंह, पताः फ्लैट सं.एसएफ–01, प्लॉट सं.4, सताब्दीपुरम, गाज़ियाबाद,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.17,46,162/– (सत्रह लाख छियालिस हजार एक सौ बासठ रूपये मात्र) प्लस आगे ब्याज़ एवं शुल्क,** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 27.04.2019** को ले लिया है। **कर्जदार/गारंटर** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.17,46,162/– (सत्रह लाख छियालिस हजार एक सौ बासठ रूपये मात्र) प्लस आगे ब्याज़ एवं शुल्क** के साथ **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जो स्थित है :
फ्लैट सं.एसएफ–1, दूसरा तल, प्लॉट सं.4, खसरा सं.1817, सताब्दीपुरम, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश। घिराः

पूर्वः 30 फीट चौड़ी रोड **पश्चिमः गौर होम्स की दीवार**
उत्तरः प्लॉट सं. 5 **दक्षिणः प्लॉट सं.3**

स्थानः गाजियाबाद **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः 27/04/2019 **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**